उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे० आ०–सा० नि०) अनुभाग–7
संख्याः –/XXVII(7)/18–50(14)/2017
देहरादूनः दिनांक २३ जनवरी, 2019

कार्यालय–ज्ञाप

वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत क्लीनिकल कार्यों में रत नियमित एलोपैथिक चिकित्सकों को सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनके मूल वेतन का 20% "प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (NPA)" दिनांक 01 फरवरी, 2019 से अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. प्रशासनिक कार्यों में नियुक्त/कार्यरत चिकित्सक, यदि वे अपने प्रशासनिक कार्यों के साथ–साथ सप्ताह में कम से कम दो दिन क्लीनिकल कार्य करते हैं, तो उन्हें भी उपरोक्त दरों पर "प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (NPA)" देय होगा।

3. उक्तानुसार स्वीकृत प्रैक्टिस बन्दी भत्ता एवं मूल वेतन का कुल योग रू0 2,25000.00 (रू0 दो लाख पच्चीस हजार मात्र) से अधिक नहीं होगा।

4. प्रैक्टिस बन्दी भत्ते के सम्बन्ध में पूर्व में लागू शर्तें एवं प्रतिबन्ध उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः २६ (1)/XXVII(7)/18–50(14)/2017 तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
7. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
8. निदेशक आडिट निदेशालय, देहरादून।
9. सम्बन्धित वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक।
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

I.T
Up load करें।
24.1.19

(देवेन्द्र शाह)
अधिशासी अभियन्ता

Modo - manage your online data. Learn More>